

21. 5. 16

साधु-पुत्रिका

पद्मावली के लिए केम्प मालोला  
 परिये। प्रतिवादी माधु-पुत्रिका  
 प्रतिवादी ने बताया की  
 वादी व प्रतिवादी ने विवाहित  
 आराजी के लिये गइ है मोके  
 पर उनका वादजा नहीं है।  
 वादी द्वारा अपने अपनी भूमि  
 के लिये से सा. का. नं. 1823  
 दिनांक 22.11.13 कोला के नाम  
 शवात शोला दिया गया है

अतः विवाहित भूमि  
 वादी, प्रतिवादी द्वारा वादने से  
 उनके वादजे में नहीं होने  
 से वाद पर शवातीज दिया  
 जाता है।

आज यह निर्णय केम्प  
 मालोला में सरे आम श्रुताया  
 गया।

पद्मावली के लिये श्रुताया  
 होकर नम्बर से काम हो

(उमेश सिंह राजावत)

सौक अदास्त  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पवन सहाय, ... ..